न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी–कमर चौधरी

आई0ए0एस0

Web Copy - Not Official

प्रा0पत्र सं0 03/2022 धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

राजस्थान सरकार जरिये प्रहलाद मीना प्रवर्तन अधिकारी, लालसोट जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री ललित कुमार जैन, निवासी न्यू कॉलोनी, लालसोट बडजात्या गैस सर्विस बस के पास, लाल बहादुर पुलिया लालसोट जिला दौसा।

..अप्रार्थी

उपस्थितः 1. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार
2. अप्रार्थी अभिषेक जैन स्वयं।

जब्तशुदा 2 घरेलू एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों मय एल.पी.जी. 26.7 किलोग्राम व अन्य सामग्री को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण करने बाबत।

निर्णय

दिनांकः 02.08.2023

सक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी, लालसोट जिला दौसा द्वारा दिनांक 08.12.2022 को बडजात्या गैस सर्विस, बस स्टैण्ड के पास, लालसोट के परिसर में 02 गैस सिलेण्डर मय मय एल0पी0जी0 गैस को जब्त सरकार कर राजसात करने हेतु निवेदन किया गया था।

प्रा0 पत्र 6 (ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम–1955 दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

पैरोकार सरकार की दलील है कि घरेलू एल0पी0जी के अवैध भंडारण एवं रिफलिंग की शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन अधिकारी लालसोट के द्वारा दिनांक 8.12.2022 को बडजात्या गैस सर्विस, बस स्टैण्ड के पास, लाल बहादुर पुलिया, लालसोट पर पहुँच कर तलाशी लेकर जांच की गई। मौके पर उपस्थित दुकानदार श्री अभिषेक जैन, निवासी न्यू कॉलोनी, लालसोट उपस्थित मिले। मौके पर उपस्थित दुकानदार श्री अभिषेक जैन व स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में जांच व तलाशी का कार्य किया गया। मौके पर दुकान में घरेलू एल.पी.जी. गैस के दो सिलेण्डर रखे हुए पाये गये। दुकान में गैस रिफलिंग व गैस ट्रांस्फर में प्रयुक्त पीतल की बांसुरी व रेगूलेटर पाये गये। श्री अभिषेक जैन द्वारा दुकान में अवैध रूप से घरेलू एल0पी0जी0 गैस का भंडारण, रिफलिंग, अन्तरण व विक्रय का कार्य किया जाता है। मौके पर जय भवानी गैस एजेन्सी लालसोट के प्रबंधक श्री मनमोहन शर्मा व डिलीवरीमैन को बुलवाकर हैंगिंग मशीन से तुलाई की कार्यवाही की गई। मौके पर पाये गये उक्त दो घरेलू सिलेण्डरों एवं उनमें भंडारित 26.7 किलोग्राम एल0पी0जी0 गैस, पीतल की बांसुरी व रेगूलेटर जब्त कर कब्जे राज लिया गया। जब्त गैस सिलेण्डरों व अन्य सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से जय भवानी गैस एजेन्सी लालसोट के प्रबंधक को सुपुर्दगी में दिये गये। दुकानदार के द्वारा गैस भंडारण के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मौके पर घनी आबादी क्षेत्र में अवैध रूप से गैस रिफलिंग व विक्रय का कारोबार किया जाना पाया गया। उक्त अनियमितता करके दुकानदार द्वारा द्रवीकृत

.....निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3, 4, 5, 6 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एल0पी0जी0 26.7 किलोग्राम तथा पीतल की बांसुरी व रेगूलेटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात कर निस्तारण फरमाया जावे।

अप्रार्थी अभिषेक जैन ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया कि प्रवर्तन अधिकारी लालसोट द्वारा जब्तशुदा वस्तुओं से अप्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। उक्त वस्तुएं राजसात करने मे प्रार्थी को कोई एतराज नहीं होना व्यक्त किया गया।

उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रवर्तन अधिकारी लालसोट द्वारा लालसोट शहर में घनी आबादी क्षेत्र पर दुकान का निरीक्षण करने पर एल.पी.जी. गैस घरेलू सिलेण्डर से अवैध व्यावसायिक उपयोग किया जाना स्पष्ट प्रमाणित होता है, जो अवैधानिक कृत्य की श्रेणी में आता है। इस प्रकार का उक्त कृत्य **L.P.G. (Regulation of supply and distribution) order, 2000** के क्लॉज 3(C) का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय एल0पी0जी0 गैस एवं अन्य जब्त सामान राजसात **(Confiscate)** किया जाता है। जिला रसद अधिकारी दौसा को निर्देश दिये जाते है कि जब्त माल का नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 02 अगस्त, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा